आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2013 को जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

1. पुलिस अधीक्षक–सह–सदस्य, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण,किशनगंज।
2. अपर समाहर्त्ता– सह–सदस्य सचिव, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण, किशनगंज।
3. वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज।

–: <u>कार्यवाही</u> :–

पूर्व में जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की बैठक माह मई, 2013 में दिनांक 14.05.2013 को आयोजित की गई थी। सम्पन्न गत् बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 221/जि.विधि, दिनांक 14.05.2013 द्वारा सभी संबंधितों को भेजी गई है।

गत् बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष द्वारा समीक्षा की गई एवं बैठक में अधिनियम की धारा 60 के तहत् जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के पत्रांक 2554, दिनांक 25.08.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चालू तिमाही में कोई मामला नहीं है, तद्नुसार तिमाही प्रतिवेदन शून्य प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही, चालू तिमाही में जिला कार्यालय को भी कोई मामला परिवादित नहीं है। बैठक में प्राधिकरण के समक्ष गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5458 दिनांक 18.07.2013 रखा गया, जिसके अनुसार किशनगंज जिला का अधिनियम की धारा 61(1) के तहत कैलेण्डर वर्ष 2012 का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त है। साथ ही, बैठक में जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के समक्ष गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 5844, दिनांक 01.08.2013 प्रस्तुत किया गया। पत्रानुसार जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण द्वारा निर्वहन किए जाने वाले दायित्वों के संबंध में तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर डब्लू.पी. 286/2013 में सरकार की ओर से समर्पित किया गया है।

उक्त आलोक में विमर्शोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक तिमाही में प्राधिकरण की नियमित बैठक की जाय। इस हेतु जिला पुलिस अधीक्षक समय समय पर

तिमाही प्रतिवेदन के माध्यम से मामले को प्राधिकरण के समक्ष लायेंगे और प्राधिकरण उस पर विचार करेगी।

अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि **गठित जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण** का व्यापक **प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की साथर्कता से** आम जन अवगत हो **सके तथा पुलिस एवं आम जन के साथ सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण और बेहतर** हो सके।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह. /–
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक [V-09/2008-13] 487 / जि.विधि., किशनगंज, दिनांक 30..08.2013.

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को पत्रांक 273 / सी., दिनांक 06.03.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचारार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

30/8/13

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।